भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 16*

(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत हैंडपंप लगाया जाना

***16. श्रीमती विप्लव ठाकुरः**

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत हैंडपंप लगाए जाने के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से ऐसे मानदंडों में ढील दिए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

पेयजल और स्वच्छता मंत्री

(श्री जयराम रमेश)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

राज्य सभा में दिनांक 22.11.2011 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं0 16 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) में हैंड पंप लगाने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत मनुष्यों की बुनियादी न्यूनतम जरूरत के रूप में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर जल का प्रावधान तय किया गया है।

संबंधित राज्य सरकारें उपर्युक्त मानदण्डों का मूल्यांकन कर सकती हैं और वे जल की उपलब्धता, मांग, शामिल पूंजीगत लागत, सामर्थ्य आदि के आधार पर अपने-अपने उच्चतम मानदण्डों का निर्धारण कर सकती हैं।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।